

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जोधपुर ग्रामीण

क्रमांक: kharif 2080 02

दिनांक: 24/09/2024

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JOD/0008437

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5576 दिनांक 21.11.2023 एवं क्रमांक 93-113 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
जोधपुर /	18	SMF	50%-75%	86020
बिलाड़ा /	15207	SMF	50%-75%	99099611
तिवरी	682	SMF	50%-75%	4476586
भोपालगढ /	13995	SMF	50%-75%	122380638
ओसियाँ /	117	SMF	50%-75%	1842304
कुड़ी भगतासनी	1008	SMF	50%-75%	6195751
योग	31027			234080910

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 बजट मद पर भारत होगी ।

जिला कलेक्टर,
जोधपुर ग्रामीण

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जोधपुर ग्रामीण

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.09.25 18:41:06 IST
Reason: Approved